केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001, फोन 23353503, फैक्स 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 305/टीडी/2023 **दिनांक: 9.2.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

भारत के सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन रेडियन्स ग्रीन मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, 9वां तल, गोदरेज वन, पिरोजशाहनगर, अपॉजिट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विखरोकी, ईस्ट मुम्बई–400079, महाराष्ट्र, द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. रेडियन्स ग्रीन मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड को अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **www.rgmpl.com** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 1.2.2024 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर **23.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग द्वारा दिनांक **27.2.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव